राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6650/2024

पूजा चौहान पुत्री चेत राम पत्नी श्री किरण आसरी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 18, न्यू वाल्मीकि मंदिर के पास, सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान।

4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बापिनी, जोधपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सुनील पुरोहित।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>24/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता, जो वर्तमान में जोधपुर जिले में कार्यरत है, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग करती है कि वे उसे नजदीकी पोस्टिंग स्थान यानी श्री गंगानगर में स्थानांतरित करने के लिए उचित आदेश पारित करें।

2. याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो एक शिक्षिका है, अपने पति की देखभाल भी कर रही है, जो फेफड़ों के कैंसर चरण IV से पीड़ित है, साथ ही उसके पास अपने लगभग 5 वर्षीय बेटे की माँ बनने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता, जो श्री गंगानगर की निवासी है, ने प्रतिवादी अधिकारियों से अनुरोध किया कि उसे उसके गृह जिले के नजदीक स्थानांतरित किया जाए, ताकि वह अपने पैतृक स्थान पर अपने विस्तारित परिवार से सहायता प्राप्त कर सके। उसने अपने पति की चिकित्सा स्थिति को प्रमाणित करने वाली सभी चिकित्सा रिपोर्टों के साथ प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दायर किया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, यह रिट याचिका है।

3. आमतौर पर, यह न्यायालय स्थानांतरण के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, जब तक कि कानून का कोई उल्लंघन या अत्यधिक कठिनाई या शक्ति के रंगे हुए प्रयोग का मामला न हो। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में, जो याचिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अत्यधिक कठिनाई का मामला है, क्योंकि याचिकाकर्ता व्यावहारिक रूप से एकल अभिभावक है, क्योंकि उसका पति स्टेज IV के फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है और इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के अतिरिक्त अभिभावकीय कर्तव्यों के अलावा उसे निरंतर परिचर्या की भी आवश्यकता है।

4. इसके बावजूद, उसके अनुरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

5. इस आधार पर, वर्तमान याचिका का निपटारा सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की परिस्थितियों को सत्यापित करने के निर्देश के साथ किया जाता है और यदि वे याचिका में बताए अनुसार सही हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि मानवीय आधार पर याचिकाकर्ता

को जिला श्री गंगानगर में तैनात करने के लिए उचित आदेश पारित किया जाएगा।

6. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ संपर्क करने से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

7. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।